Toppersnotes®
Unleash the topper in you

BIHAR

CLERK, STENOGRAPHER, COURT READER

बिहार सिविल कोर्ट

भाग – 3

भारत का भूगोल एवं राजव्यवस्था

SIERRA INNOVATIONS

BIHAR – CLERK

क्र.सं.	अध्याय	पृष्ठ सं.
	भारत का भूगोल	
1.	भारत का विस्तार	1
2.	भारत के भौगोलिक भू–भाग	6
3.	भारत में खनिजों का वितरण	54
4.	ऊर्जा संसाधन	60
6.	जलवायु	65
7.	जनसंख्या आँकडे	77
8.	जैव–विविधता	81
9.	भारत की प्राकृतिक वनस्पति	89
10.	भारत वन स्थिति रिपोर्ट	92
11.	विश्व भूगोल के महत्वपूर्ण तथ्य	95
	भारतीय संविधान	
1.	भारतीय राज्यव्यवस्था की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि	104
2.	संविधान की विशेषताएँ	110
3.	भारतीय संविधान के स्त्रोत अनुसूचियॉ	112
4.	संविधान के भाग	116
5.	नागरिकता	129
6.	मूल अधिकार	130
7.	नीति निदेशक तत्व	141
8.	मूल कर्त्तव्य	142
9.	राष्ट्रपति	143
10.	उपराष्ट्रपति	149
11.	प्रधानमंत्री एवं मंत्री परिषद	150
12.	संसद	156

13.	लोकसभा	158
14.	न्यायपालिका	173
15.	संविधान संशोधन	203
16.	विविध	228

भारतीय भूगोल

(Indian Geography)

भारत का विस्तार

- भारत में उत्तर से दक्षिण तक की दूरी, पूर्व से पश्चिम की दूरी से अधिक है क्योंकि ध्रुवीय क्षेत्रों की ओर बढ़ने पर देशान्तर के बीच दूरी कम होती जाती है परन्तु अक्षांशों के बीच दूरी समान रहती है ।
- भारत का क्षेत्रफल = 3287263 किमी.^{2} = लगभग 32.8 लाख किमी.^{2}
- विश्व के कुल क्षेत्रफल का 2.4% भारत का क्षेत्रफल है ।
- क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में 7th स्थान है ।
- क्षेत्रफल की दृष्टि से अधिकतम क्षेत्रफल वाले देश–
  - रूस
  - कनाडा
  - चीन
  - यू.एस.ए
  - ब्राजील
  - ऑस्ट्रेलिया
  - भारत
  - अर्जेन्टिना
  - कजाकिस्तान
  - अल्जीरिया

- भारत की जनसंख्या 2011 की जनगणना के अनुसार 121 करोड है जो विश्व की जनसंख्या का 17.5% है ।
- नवीनतम आंकाडो के अनुसार 2021 मे भारत की जनसंख्या लगभग 139 करोड हो चुकी है ।
- जनसंख्या के आधार पर विश्व में भारत का चीन के बाद दूसरा स्थान है ।
- भारत के उत्तर में हिमालय पर्वत, नेपाल, चीन तथा भूटान देश है तथा पश्चिम में अरब सागर, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, पूर्व में बांग्लादेश, म्यांमार है और दक्षिण में श्रीलंका एवं हिन्द महासागर से घिरा है ।
- भारत में अण्डमान–निकोबार द्वीप समूह बंगाल की खाडी में स्थित है तथा लक्षद्वीप अरब सागर में स्थित है ।
- भारत का दक्षिणतम बिन्दु इन्दिरा पाइंट (निकोबार) 6°45' उत्तरी अक्षांश है जिसे पिग्मेलियन प्वाइंट भी कहते है ।
- अरावली की पहाडियाँ राजस्थान में स्थित है । यह सबसे पुरानी चट्टानों से बनी है । इस पहाडी की सबसे ऊँची चोटी माउण्ट आबू पर स्थित गुरुशिखर है । इसकी ऊँचाई 1722 मी. है ।
- विन्ध्याचल का पठार झारखण्ड, उत्तर प्रदेश एवं छत्तीसगढ राज्यों में है । यह परतदार चट्टानों का बना है । विन्ध्याचल पर्वतमाला उत्तर भारत को दक्षिण भारत से अलग करती है ।
- मैकाले पठार छत्तीसगढ राज्य में स्थित है । मैकाले पहाडी का सर्वोच्च शिखर अमरकण्टक है । इसकी ऊँचाई 1048 मी. है । यह पुरानी चट्टानों का बना एक ब्लॉक पर्वत है ।
- सतपुडा की पहाडियाँ मध्य प्रदेश में है । ये ज्वालामुखी चट्टानों की बनी है । इनकी सबसे ऊँची चोटी धूपगढ (1350 मी.) है ।

- दक्कन का पठार महाराष्ट्र राज्य में है । यह ज्वालामुखी बेसाल्ट चट्टान का बना है । यह काली मिट्टी का क्षेत्र है । इसके पश्चिमी हिस्से में सह्याद्रि की पहाडी है । सह्याद्रि की सबसे ऊँची चोटी कल्सुबाई है ।
- धारवाड का पठार कर्नाटक राज्य में है । यह परिवर्तित चट्टानों का बना है । इस पठार के पश्चिमी भाग में बाबा बुदन की पहाडी तथा ब्रह्मगिरि की पहाडी है ।

भारत का भौगोलिक विस्तार

- बडे राज्य
  - राजस्थान (3.42 लाख Km^2)
  - मध्यप्रदेश (3.08 लाख Km^2)
  - महाराष्ट्र (3.07 लाख Km^2)
- छोटे राज्य
  - गोवा – (3702 Km^2)
  - सिक्किम – (7096 Km^2)
- बडे जिले
  - कच्छ – (45,652 Km^2)
  - लेह – (45,110 Km^2)
  - जैसलमेर – (38,401 Km^2)
- छोटा जिला
  - माही (09 Km^2) (पाण्डिचेरी)

अक्षांश का प्रभाव

- भारत का अक्षांशीय विस्तार 30° होने के कारण भारत में जलवायु, मृदा तथा वनस्पति से संबंधित विविधता पाई जाती है ।
- कर्क रेखा ($23\frac{1}{2}°N$) भारत को दो प्रमुख भागों में बाँटती है– भारत का दक्षिणी भाग ऊष्ण कटिबन्धीय क्षेत्र में तथा उत्तरी भाग शीतोष्ण कटिबन्धीय क्षेत्र में स्थित है ।
- भारत में उष्ण कटिबन्धीय मानसून जलवायु पाई जाती है क्योंकि उत्तर में स्थित हिमालय पर्वत साइबेरिया से जाने वाली ठण्डी पवनों को रोकता है ।
- कर्क रेखा भारत के निम्नलिखित 8 राज्यों से होकर गुजरती है ।

देशान्तर का प्रभाव

- भारत का देशान्तरीय विस्तार 30° होने के कारण भारत के सबसे पूर्वी तथा पश्चिमतम भाग के बीच 2 घंटे का अन्तर पाया जाता है ।
- 82½° पूर्वी देशान्तर को भारत की स्थानीय समय गणना के लिए एक मानक देशान्तर के रूप में चुना गया है । यह रेखा प्रयागराज के नैनी से होकर गुजरती है ।
- भारत का मानक समय **GMT** से 5½ घंटे आगे है ।

- 82½° पूर्वी देशान्तर निम्नलिखित राज्यों से होकर गुजरती है :-

Border of India

1. स्थलीय सीमा

- भारत की स्थलीय सीमा लगभग 15200 किमी. (15106.7 किमी.) है ।
- भारत की स्थलीय सीमा निम्न देशों को स्पर्श करती है :-

		NCERT के अनुसार
1.	बांग्लादेश = **4096.7 km** (सर्वाधिक)	4096 किमी
2.	चीन = **3488 km**	3917 किमी
3.	पाकिस्तान = **3323 km**	3310 किमी
4.	नेपाल = **1751 km**	1752 किमी
5.	म्यांमार = **1643 km**	1458 किमी
6.	भूटान = **699 km**	587 किमी
7.	अफगानिस्तान = **106 km** (सबसे कम)	80 किमी यह सीमा अप्रत्यक्ष रूप से लगती है ।

देश तथा सीमा पर स्थित भारतीय राज्य			
क्र. सं.	देश	कुल संख्या	भारतीय राज्य
1.	चीन	5	जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखण्ड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश
2.	नेपाल	5	उत्तर प्रदेश, उत्तराखण्ड, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम
3.	बांग्लादेश	5	पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम
4.	म्यांमार	4	अरुणाचल प्रदेश, नागालैण्ड, मणिपुर, मिजोरम
5.	पाकिस्तान	4	गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर
6	भूटान	4	सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम, अरुणाचल प्रदेश
7.	अफगानिस्तान	1	जम्मू कश्मीर (पाक अधिकृत कश्मीर)

- भारत-पाकिस्तान की सीमा रेखा = रेडक्लिफ रेखा है जो 17 अगस्त 1947 को निर्धारित की थी
- भारत-चीन की सीमा रेखा = मैकमोहन जिसे 1914 ई. मे शिमला मे निर्धारित की गई ।
- भारत-अफगानिस्तान की सीमा रेखा = डूरन्ड रेखा

2. जलीय सीमा

- मुख्य भूमि की तटीय सीमा की लंबाई 6100 किमी. है ।
- भारत की कुल जलीय सीमा = 7516.6 किमी.
  Mainland = 5422.6 km & Island = 2094 km

- सर्वाधिक लम्बी तटीय रेखा वाले राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश

राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश	तटरेखा (किमी.)
अण्डमान निकोबार द्वीप समूह	1962
गुजरात	1215
आन्ध्र प्रदेश	970
तमिलनाडु	907
महाराष्ट्र	652
लक्षद्वीप	132
पुडुचेरी	47
दमन एवं दीव	42

तटवर्ती/सीमावर्ती सागर

1. सीमावर्ती सागर **(Territorial Sea)**
2. संलग्न सागर **(Contiguous Sea)**
3. अनन्य आर्थिक क्षेत्र **(Exclusive Economic Zone)**

1. सीमावर्ती सागर

- यह क्षेत्र आधार रेखा से 12 समुद्री मील की दूरी तक स्थित है ।
- इस क्षेत्र में भारत का एकाधिकार है ।

2. संलग्न सागर

- यह क्षेत्र आधार रेखा से 24 समुद्री मील तक स्थित है ।
- इस क्षेत्र में भारत के पास वित्तीय अधिकार है ।
- यहाँ भारत सीमा शुल्क **(Custom Duty)** वसूल सकता है ।

3. अनन्य आर्थिक क्षेत्र

- यह क्षेत्र आधार रेखा से 200**nm** तक स्थित है।
- इस क्षेत्र में भारत के पास आर्थिक अधिकार है तथा यहाँ भारत संसाधनों का दोहन, द्वीप निर्माण तथा अनुसंधान आदि कर सकता है ।
  <u>उच्च सागर</u> :- यहाँ सभी देशों का समान अधिकार होता है ।

तटवर्ती सीमा के लाभ

- तटवर्ती सीमा दक्षिण भारत में समकारी जलवायु **(Moderate Climate)** का निर्माण करती है ।
- तटवर्ती सीमा बन्दरगाहों के निर्माण के लिए उपयोगी है । इन बन्दरगाहों के माध्यम से आयात-निर्यात व्यापार किया जाता है ।

- तटवर्ती सीमा भारत को विभिन्न देशों से जोडती है ।
- पर्यटन की दृष्टि से भी यह उपयोगी होती है ।
- महासागरीय संसाधनों तक तटवर्ती सीमा पहुँच बनाती है ।
- सुरक्षा की दृष्टि से भी तटवर्ती सीमा महत्वपूर्ण है ।

तटवर्ती सीमा के नुकसान

- सुनामी जैसी प्राकृतिक आपदाओं का सामना करना पडता है ।
- समुद्री लुटेरों, तस्करी आदि का भी डर बना रहता है ।
- तटवर्ती सीमा के रखरखाव एवं सुरक्षा के लिए अतिरिक्त व्यय करना पडता है ।

<u>निष्कर्ष</u> :- तटवर्ती सीमा के नकारात्मक प्रभाव होने के बावजूद यह भारत के लिए लाभकारी है ।

भारतीय उपमहाद्वीप **(Indian Subcontinent)**

- उपमहाद्वीपीय उस भाग को कहा जाता है जो महाद्वीप में अपनी एक पृथक पहचान रखता हो ।
- भौगोलिक, सांस्कृतिक तथा पर्यावरण की दृष्टि से भारत एशिया के अन्य देशों से पृथक पहचान रखता है ।
- भारत के उत्तरी भाग में पर्वत स्थित है जैसे - हिन्दुकुश, सुलेमान, हिमालय, पूर्वांचल तथा पूर्व में अराकानयोगा जो भारत को एशिया के मुख्य भूभाग से पृथक करते है ।
- भारत के दक्षिणी भाग में महासागरीय क्षेत्र स्थित है जो भारत तथा पडौसी देशों को पृथक पहचान दिलाता है ।
- भारतीय उपमहाद्वीप में निम्नलिखित देश सम्मिलित है:-

➢ भारत	➢ भूटान
➢ पाकिस्तान	➢ बांग्लादेश
➢ अफगानिस्तान	➢ श्रीलंका
➢ नेपाल	➢ मालदीव

भारत के भौगोलिक भू–भाग

(Physiography Devision of India)

भारत के भौगोलिक भू–भाग

इसे मुख्यतः 5 भौतिक भागों मे बाँटा है जो निम्न है (**NCERT** में 6 भागों में विभाजित किया गया है ।)

1. हिमालय पर्वतीय प्रदेश
2. उत्तरी मैदानी प्रदेश
3. प्रायद्वीप पठारी प्रदेश
4. तटीय मैदानी प्रदेश
5. द्वीपीय समूह प्रदेश

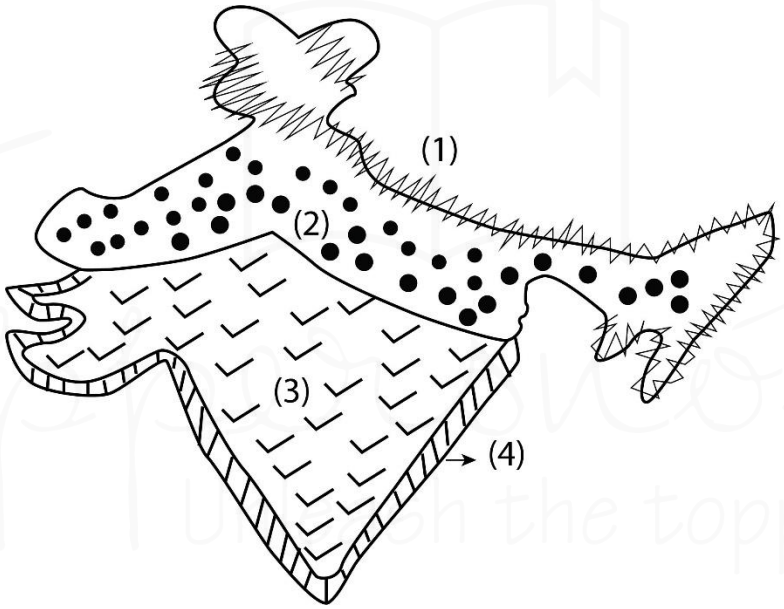

1. हिमालय पर्वतीय प्रदेश

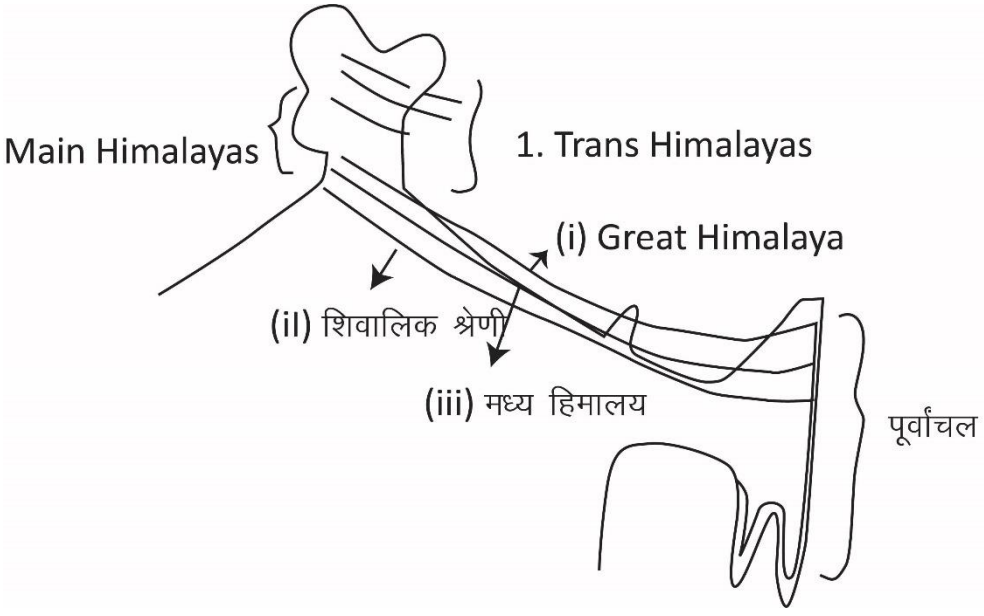

- भारत के उत्तरी सीमा पर स्थित पर्वत तंत्र हिमालय पर्वतीय प्रदेश का निर्माण करता है ।
- इस पर्वत तंत्र का निर्माण नवीन वलित पर्वतों से हुआ है ।
- ये वलित पर्वत 'यूरेशियन प्लेट' तथा 'भारतीय प्लेट' के अभिसरण से निर्मित हुए है ।
- इस पर्वत तंत्र का निर्माण टर्शरी काल में हुआ है, इसलिए इसे 'टर्शरी पर्वत तंत्र' भी कहा जाता है । **Tertiary Period** (टर्शरी काल) = (70 मिलियन वर्ष–11 मिलियन वर्ष पूर्वतक)
- यह पर्वत तंत्र विश्व का सबसे ऊँचा पर्वत तंत्र है, इसलिए इस तंत्र में बहुत से अल्पाइन हिमनद भी पाये जाते है ।
- भारत की सबसे प्रमुख नदियों का उदगम इसी पर्वत पर स्थित हिमनदों से होता है ।
- इस पर्वतीय प्रदेश को तीन भागों में विभाजित किया जा सकता है:–

ट्रांस हिमालय

हिमालय पर्वतीय प्रदेश का सबसे उत्तरी भाग ट्रांस हिमालय कहलाता है ।

- यह मुख्य रूप से 'जम्मू–कश्मीर' व 'तिब्बत' में स्थित है ।
- मुख्य हिमालय के वृष्टि छाया क्षेत्र में स्थित होने के कारण यहाँ शुष्क परिस्थितियाँ पाई जाती है ।
- इस भाग में तीन प्रमुख पर्वत श्रेणियाँ पाई जाती है :–

(a) काराकोरम श्रेणी

- यह ट्रांस हिमालय की सबसे उत्तरी श्रेणी कहलाती है ।
- यह ट्रांस हिमालय की सबसे लम्बी व ऊँची श्रेणी है ।
- 'माउण्ट गोडविन ऑस्टिन' इस श्रेणी की सबसे ऊँची चोटी है, जो कि भारत की सबसे ऊँची तथा विश्व की दूसरी सबसे ऊँची चोटी है । (8611 किमी.)
- यह श्रेणी अपने अल्पाइन हिमनदों के लिए विख्यात है :–
  1. बतुरा
  2. हिस्पार
  3. बियाको
  4. बालतोरो
  5. सियाचिन
- सियाचिन हिमनद' नुबरा घाटी में स्थित है तथा इस हिमनद के पिघलने से नुबरा नदी का उदगम होता है, जो कि सिन्धु की सहायक नदी है ।

(b) लद्दाख श्रेणी

- काराकोरम श्रेणी के दक्षिण में स्थित है ।
- तिब्बत में इस श्रेणी का विस्तार 'कैलाश पर्वत' के नाम से जाना जाता है ।
- तिब्बत में इस श्रेणी के दक्षिण में 'मानसरोवर झील' स्थित है ।
- 'एकापोशी चोटी' इस श्रेणी की सबसे ऊँची चोटी है । जो विश्व की सबसे तीव्रतम ढाल वाली चोटी है ।

(c) जास्कर श्रेणी

- ट्रांस हिमालय की सबसे दक्षिणी श्रेणी ।
- जास्कर तथा लद्दाख श्रेणी के मध्य सिन्धु घाटी स्थित है ।

Note

लद्दाख पठार

- कराकोरम श्रेणी तथा लद्दाख श्रेणी के मध्य स्थित अन्तः पर्वतीय पठार है ।
- इस पठार की ऊँचाई लगभग 4800 मीटर है तथा यह भारत का सबसे ऊँचा पठार है ।
- वृष्टि छाया क्षेत्र में स्थित होने के कारण इस पठार पर शुष्क परिस्थितियाँ पाई जाती है, इसलिए यह एक 'ठण्डे मरूस्थल' का उदाहरण है ।
- इस पठार पर बहुत सी खारे पानी की झील पाई जाती है ।

मुख्य हिमालय

- यह पर्वतीय प्रदेश का दूसरा प्रमुख भाग है ।
- यह भाग सिन्धु नदी घाटी से ब्रह्मपुत्र नदी घाटी तक स्थित है ।
- इस भाग के दोनों ओर अक्षसंधीय मोड **(Systaxial Bend)** पाया जाता है ।
- इस भाग की चौडाई पश्चिमी भाग में अधिक तथा पूर्वी भाग में कम है ।
- यह लगभग 2400 किमी. की दूरी में विस्तृत है ।
- इस भाग में तीन प्रमुख श्रेणियाँ है:-
  - (a) वृहद् हिमालय (Greater Himalaya)
  - (b) मध्य हिमालय (Middle Himalaya)
  - (c) शिवालिक (Shivalik)

(a). वृहद् हिमालय (Greater Himalaya)

- यह श्रेणी नंगा पर्वत से नामचा बरवा के बीच स्थित है ।
- यह 2400 किमी. की दूरी तक विस्तृत है तथा इसकी औसत चौडाई 25 किमी. एवं औसत ऊँचाई 6100 मी. है ।
- ऊँचाई अधिक होने के कारण यह पर्वत वर्ष भर बर्फ से ढका रहता है अतः इसे हिमाद्री भी कहा जाता है ।
- यह विश्व की सबसे ऊँची पर्वत श्रेणी है । इस श्रेणी में विश्व की सबसे ऊँची चोटी माउण्ट एवरेस्ट (8849 मी.) स्थित है ।
- इस श्रेणी मे कंचनजंघा (8598 मी.), मकालू (8484 मी.) धौलागिरी (8172 मी.), नंगा पर्वत (8126 मी.) आदि स्थित है ।
- माउण्ट एवरेस्ट नेपाल-चीन सीमा पर स्थित है । इसे नेपाल में सागरमाथा कहते है । (माउण्ट एवरेस्ट को)
- इस पर्वत पर बहुत से प्रमुख हिमनद स्थित है । **e.g.-** गंगोत्री, यमुनोत्री, सतोपंथ, पिंडारी, मिलान इत्यादि ।
- इस श्रेणी में बहुत से दर्रे है जिन्हें स्थानीय भाषा में 'ला' कहा जाता है ।

राजव्यवस्था

भारतीय राज्यव्यवस्था की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि

भारत में ब्रिटिश 1600 ई. में ईस्ट इण्डिया कम्पनी के रूप में व्यापार करने के लिए आये थे इन्होंने भारत में व्यापार करने का एकमात्र अधिकार दिया गया था ।

बक्सर के युद्ध (22 अक्टूबर, 1764) के बाद प्रथम बार 1765 में कम्पनी को बंगाल, बिहार व उडीसा की दीवानी प्राप्त हुई ।

दीवानी – दीवानी से तात्पर्य है राजस्व संग्रहण व नागरिक न्याय की शक्ति ।

1773 का रेग्युलेटिंग एक्ट

1. इसके माध्यम से बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया गया । उसकी सहायता के लिए 4 सदस्यीय कार्यकारी परिषद् बनाई गई । प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स था ।
2. बॉम्बे एवं मद्रास के गवर्नरों को बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन लाया गया जो कि पहले स्वतंत्र थे ।
3. इसके माध्यम से 1774 में कलकत्ता में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश एवं अन्य न्यायाधीश थे ।
4. कम्पनी सर्वोच्च सत्ता (गवर्निंग बोडी) court of directors को राजस्व नागरिक व सैन्य रिपोर्ट नियमित रूप से ब्रिटिश सरकार को देने के लिए कहा गया । उक्त एक्ट का महत्व यह है कि प्रथम बार ब्रिटिश सरकार ने अपनी कम्पनी के राजनैतिक व प्रशासनिक महत्व को समझा तथा उसे नियमित व नियंत्रित करने का प्रयास करते हुए । भारत में केन्द्रीय प्रशासन की नींव रखी ।

1784 का पिट्स इण्डिया एक्ट

1. इसमें कम्पनी के वाणिज्य एवं राजनैतिक कार्यों को पृथक कर दिया गया ।
2. इसमें कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स निदेशक मण्डल को वाणिज्य कार्यो की छूट दी किन्तु राजनैतिक कार्यो के लिए board of central बनाया ।
3. भारत में स्थित सभी ब्रिटिश क्षेत्र तथा परिसम्पत्ति के सैन्य एवं नागरिक कार्यो पर निर्देशन एवं पर्यवेक्षण की शक्ति बोर्ड ऑफ सेन्ट्रल नियंत्रक मण्डल को दी ।
4. प्रथम बार द्वैध शासन लागू किया Board of control व court of directors
5. भारत में कंपनी के अधीन क्षेत्र को पहली बार ब्रिटिश आधिपत्य क्षेत्र कहा ।

1833 चार्टर एक्ट

1. बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया । सारी नागरिक व सैन्य शक्ति उसमें निहित की गई । भारत के प्रथम गवर्नर जनरल विलियम बैंटिंग थे ।
2. गवर्नर जनरल को विधायिका के असीमित अधिकार दिये । इनके द्वारा कानून नियामकों को कानून कहा गया तथा नये कानूनों के तहत बनाये गये कानूनों को अधिनियम या Act कहा गया ।
3. बम्बई व मद्रास के गवर्नरों से कानून बनाने की शक्ति छीन ली गई सारी शक्ति बंगाल में गठित थी ।
4. ईस्ट इण्डिया कम्पनी का स्वरूप बदला । यह व्यापारिक कम्पनी नही रही बल्कि प्रशासनिक संस्था बनाई गई जो ब्रिटेन के राजमुकुट की ओर से कार्य करेगी ।
5. प्रथम बार खुली प्रतियोगिता को भर्तियों में आधार बनाने का असफल प्रयास किया गया तथा भारतीयों को भी कम्पनी के पदो के उपयुक्त माना गया ।
   इस एक्ट का महत्व यह है कि प्रथम बार भारत की सरकार की संकल्पना की गई तथा यह केन्द्रीकरण की तरफ एक निर्णायक कदम रहा ।

1853 A.D. का चार्टर एक्ट

1. इसमें प्रथम बार गवर्नर जनरल की परिषद् के विधायी और कार्यपालिका कार्यो को अलग किया तथा 6 नये सदस्य जोडे गये जिन्हे विधायी पार्षद कहा गया । अर्थात् गवर्नर जनरल की एक विधान परिषद् बनाई गई जिसे भारतीय विधान परिषद् कहा गया यह एक छोटी ब्रिटिश संसद की तरह थी जिसमें वही प्रक्रियाये अपनाई जाती थी जो ब्रिटेन में अपनाई जाती थी ।
2. भारतीय केन्द्रीय विधान परिषद् में स्थानीय प्रतिनिधित्व प्रारम्भ किया ।
3. सिविल सेवकों की भर्ती हेतु खुली प्रतियोगिता प्रारम्भ दो प्रकार की सेवाये थी
   1. उच्च Candidate से बात
   2- निम्न Unconventade

इस एक्ट में उच्च सिविल सेवा भारतीयों के लिए खोल दी गई तथा एक्ट के प्रावधानों के तहत भारतीय सिविल सेवा के लिए 1854 में मैकाले समिति गठित की गई ।

यद्यपि कम्पनी को आगे कार्य करने की अनुमति दी गई लेकिन निश्चित समयावधि नही दी गई ।

1858 का भारत शासन अधिनियम

प्रथम स्वतंत्रता आन्दोलन के बाद भारत में ईस्ट इण्डिया कम्पनी का शासन समाप्त किया गया तथा सारी सत्ता ब्रिटिश राजमुकुट (क्राऊन) के अन्तर्गत आ गई इस अधिनियम को act for the golden government of india भारत की इच्छा सरकार बनाने के लिए बनाया गया अधिनियम कहते है ।

1. भारत का शासन ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया के द्वारा चलाया जायेगा ।
2. भारत के गवर्नर जनरल को भारत का वायसराय एवं गवर्नर जनरल कहा जाने लगा ।
   - वह भारत में ब्रिटिश राजमुकुट का सीधा प्रतिनिधि था ।
   - प्रथम वायसराय लार्ड कैनिंग था ।
3. Bord वह Control तथा Court of Director समाप्त का द्वैध शासन समाप्त कर दिया गया ।
4. एक नये पद भारत का राज्य सचिव (Secretary of state for india) का सर्जन किया गया ।
   - सम्पूर्ण सत्ता एवं नियंत्रण का दायित्व भारत के राज्य सचिव को दिया गया जो कि ब्रिटिश कैबिनेट का एक सदस्य होता था ।
5. भारत सचिव की सहायता के लिए 15 सदस्य समिति बनाई गई ।
   - इसमें सलाहकार कुछ सदस्य राजमुकुट की ओर से मनोनीत थे तथा कुछ मनोनयन (Nomination) Board of directors की तरफ से था । 15 सदस्यीय समिति का अध्यक्ष भारत का सचिव था ।
6. यह समिति नियमित निकाय थी जिसे भारत एवं इग्लैण्ड में मुकदमें में एक पक्ष बनाने का अधिकार था अर्थात् यह किसी पर मुकदमा कर सकती थी तथा इस पर मुकदमा किया जा सकता था । इनका ऑफिस ब्रिटेन में ही था ।

1861 का भारत परिषद् अधिनियम

1857 की क्रांति के बाद ब्रिटिश सरकार को शासन में भारतीयों का सहयोग आवश्यक लगा अतः उक्त अधिनियम में निम्न प्रावधान किये गये ।

1. वायसराय की विस्तारित परिषद् में गैर सरकारी सदस्यों के रूप में भारतीयों का नामांकन सम्भव हुआ । 1862 में प्रथम बार लार्ड कैनिंग ने तीन भारतीयों – बनारस के राजा, पटियाला के राजा और दिनकर राव को नामांकित किया ।
2. बम्बई और मद्रास प्रान्त को अपनी विधायी शक्तियाँ वापस मिली अर्थात् विकेन्द्रीकरण की दुबारा शुरूआत हुई ।
3. इसके माध्यम से बंगाल उत्तर पश्चिम सीमा प्रान्त परिषदों का गठन हुआ ।
4. इसमें वायसराय को परिषद् में कार्य संचालन के लिए अधिक नियम व आदेश बनाने की स्वतंत्रता दी ।
   1859 में लार्ड कैनिंग द्वारा प्रारम्भ की गई पोर्टफोलियो प्रणाली मंत्रालय को मान्यता दी अर्थात् वायसराय की परिषद् का कोई सदस्य एक या अधिक सरकारी का प्रभारी बनाया जा सकता था तथा उसे परिषद् के ओर से अन्तिम आदेश पारित करने का अधिकार था ।
5. इसमें आपातकाल में वायसराय को विधायी परिषद् की सलाह के बिना आध्यादेश लागू करने की शक्ति दी जिसकी अवधि 8 माह थी ।

1892 का भारत परिषद् अधिनियम

1. इसके माध्यम से केन्द्रीय और प्रान्तीय विधानपरिषदों में अतिरिक्त गैर सरकारी सदस्यों की संख्या बढाई गई किन्तु बहुमत सरकारी सदस्यों का था ।
2. इसमें विधानपरिषदों के कार्यों में वृद्धि की गई । जैसे – बजट पर चर्चा का अधिकार, कार्यपालिका से प्रश्न पूछने का अधिकार ।
3. इसके माध्यम से भारतीय विधानपरिषद् के गैर सरकारी सदस्यों का माननीय प्रान्तीय विधान परिषद् तथा बंगाल चैम्बर्स ऑफ के माध्यम से तथा प्रान्तीय विधान परिषदों के गैर सरकारी सदस्यों का मनोनयन विश्वविद्यालय जिला बोर्ड व्यापार संघ नगरपालिका तथा जमींदारो के द्वारा किया जाना था । अन्तिम निर्णय वायसराय गवर्नर का होता था ।

यद्यपि उक्त अधिनियम में चुनाव शब्द का प्रयोग नहीं हुआ किन्तु केन्द्रीय और प्रान्तीय विधानपरिषदों में गैर सरकारी सदस्यों के लिए एक समिति एवं अप्रत्यक्ष मतदान का प्रयोग किया गया ।

1909 का भारत शासन अधिनियम

इसे मॉर्ले–मिन्टो सुधार कहते है ।

लार्ड मार्ले भारत सचिव था तथा लार्ड मिन्टो भारत का वायसराय था ।

विशेषता

1. इसमें केन्द्रीय और प्रान्तीय विधान परिषदों की संख्या में काफी वृद्धि की गई (60) । राज्यों में संख्या अलग अलग थी ।
2. केन्द्रीय विधानपरिषदों में सरकारी बहुमत रखा गया किन्तु प्रान्तों में गैर सरकारी बहुमत की अनुमति दे दी गई ।

3. विधानपरिषदों की चर्चा सम्बन्धी अधिकारोंमें दोनों स्तरों पर वृद्धि हुई जैसे – पूरक प्रश्न पूछना, बजट पर प्रस्ताव प्रस्तुत करना आदि ।
4. प्रथम बार भारतीयों को वायसराय व गवर्नर की कार्यकारी परिषद् के सदस्य बनने की अनुमति मिली सत्येन्द्र प्रसाद सिन्हा प्रथम भारतीय थे जिन्हें वायसराय की कार्यकारी परिषद् में विधि सदस्य बनाया गया ।
5. मुस्लिमों के लिए साम्प्रदायिक आधार पर प्रतिनिधित्व का सिद्धान्त दिया गया जिसके लिए पृथक निर्वाचक दल Separate Electorate की बात की गई ।

1919 का भारत शासन अधिनियम

20 अगस्त 1917 को ब्रिटिश सरकार ने प्रथम बार घोषित किया कि उसका ध्येय भारत में एक उत्तरदायी शासन की स्थापना करना है जो कि ब्रिटिश साम्राज्य के अखण्डनीय अंग की तरह होगा ।

- इसी आधार पर 1919 में भारत शासन अधिनियम लाया गया जिसे मॉन्टेग्यू–चेम्सफोर्ड सुधार भी कहते हैं ।
- मॉन्टेग्यू भारत सचिव था तथा चेम्सफार्ड भारत का वायसराय था (मोन्ट फोर्ड एक्ट)।

विशेषता

1. केन्द्रीय व प्रान्तीय विषयों की अलग अलग सूची बनाई गई जिससे केन्द्र का राज्यों पर नियंत्रण कुछ कम हुआ । यद्यपि राज्यो का अपनी सूची पर विधान बनाने का अधिकार था किन्तु सरकार का ढाँचा केन्द्रीय और एकात्मक हो रहा है ।

2. प्रान्तीय विषयों को दो भागों में बाँटा गया – आरक्षित और हस्तान्तरित ।
   - हस्तान्तरित विषयों पर गवर्नर विधायिका के प्रति उत्तरदायी मंत्रियो के माध्यम से शासन करेगा ।
   - आरक्षित विषयों का शासन गवर्नर अपनी कार्यकारी परिषद् के माध्यम से बिना विधायी परिषद् के हस्तक्षेप के करेगा अर्थात् यह एक द्वैध शासन था ।
   - विधायिका में बहुमत गैर सरकारी सदस्यों का था ।

3. इस अधिनियम में पहली बार द्वि–सदनीय व्यवस्था व प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रारम्भ हुआ । इस प्रकार भारतीय विधानपरिषद् के दो सदन थे – लेजिस्लेटिव असेम्बली (लोकसभा) व काउन्सिल ऑफ स्टेट (राज्यसभा) दोनों सदनों के बहुसंख्यक सदस्य सीधे चुनाव के द्वारा चुने जाते थे । महिलाओं को मताधिकार नहीं दिया गया ।
4. शिक्षा कर और सम्पत्ति के आधार पर मताधिकार दिया गया ।

5. वायसराय की कार्यकारी परिषद् के 6 सदस्यो में से कमांडर इन चीफ को छोडकर तीन सदस्यों का भारतीय होना आवश्यक था । इसमें मुस्लिमों के अतिरिक्त सिक्ख भारतीय, ईसाई एंग्लो इण्डियन व यूरोपीय लोगों के लिए भी पृथक निर्वाचन क्षेत्र का प्रावधान किया ।

6. लन्दन में भारतीय उच्चायुक्त का पद सृजन किया तथा भारत सचिव के कुछ गैर कार्यों को उच्चायुक्त को स्थानान्तरित किया ।

7. एक लोकसेवा आयोग का प्रावधान किया गया । उच्च नागरिक सेवाओं के लिए गठित ली आयोग की सिफारिशों के आधार पर 1926 में सिविल सेवकों की भर्ती हेतु एक केन्द्रीय लोक सेवा आयोग का गठन किया गया ।

8. केन्द्रीय बजट को राज्यो के बजट से अलग किया गया तथा राज्य विधानसभाओ को अपना बजट स्वयं बनाने के अधिकार दिये गये ।

9. इसके अन्तर्गत एक वैधानिक आयोग के गठन का प्रस्ताव था जो कि 10 वर्ष के उपरान्त भारत की शासन प्रणाली का अध्ययन करेगा ।

कमियाँ

1. कोई भी प्रान्तीय दल गवर्नर की स्वीकृति के बाद वायसराय की अनुमति के लिए रोका जा सकता था ।
2. यद्यपि प्रान्तों को अपने विषयों पर कानून बनाने का तथा टैक्स लगाने का अधिकार दिया गया था किन्तु यह संघात्मक शक्ति वितरण नहीं था क्योंकि यह पृथक केन्द्र, द्वारा प्रत्यायोजन के आधार पर दी गई थी ।
   - केन्द्रीय विधानपरिषद् भारत के किसी भी हिस्से के लिए किसी भी विषय पर कानून बना सकती थी ।
3. केन्द्र में उत्तरदायी सरकार की स्थापना नहीं थी । वायसराय भारत सचिव का अधिकार गवर्नर जनरल के पास था ।
4. अधिकांश विषयों पर गवर्नर जनरल की अनुमति के बिना चर्चा नहीं की जा सकती थी ।
5. वित्त एक आरक्षित विषय था जो कार्यकारी परिषद् के सदस्य के अधीन था अतः धन की समस्या के कारण कोई प्रस्ताव आगे नहीं बढ पाता था ।

6. ICS के सभी सदस्य जिनके माध्यम से मंत्रियों को अपनी नीतियाँ क्रियान्वित करनी थी, वे भारत सचिव द्वारा भर्ती किये जाते थे तथा मंत्रियों के स्थान पर भारत सचिव के लिए उत्तरदायी थे ।
7. भारत शासन अधिनियम 1919 द्वारा भारत में पहली बार महिलाओं को मताधिकार मिला माण्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार द्वारा इंग्लैण्ड का प्रधानमंत्री उस समय लॉयड जार्ज था ।

1920 A.D. ने मद्रास में सबसे पहले महिलाओं को मताधिकार दिया गया ।

नोट –

भारत शासन अधिनियम 1935

1. इसमें एक अखिल भारतीय संघ की स्थापना की व्यवस्था की गई जिससे प्रान्तों और रियायतों को सम्मिलित किया तीन सूचियाँ बनाई गई ।
   1. केन्द्रीय सूची 59 विषय
   2. प्रांतीय सूची 54 विषय
   3. समवर्ती सूची 36 विषय तथा अवशिष्ट शक्तियाँ वायसराय को दी गई ।

   यह संघीय व्यवस्था कभी अस्तित्व में नहीं आई क्योंकि देशी रियायतों ने इनमें शामिल होने से मना कर दिया ।
2. प्रान्तों में द्वैध शासन व्यवस्था समाप्त कर दी गई तथा प्रान्तीय स्वायत्तता प्रारम्भ हुई राज्य सूची के विषयों में स्वंतत्रता दी गई उत्तरदायी सरकार की स्थापना हुई क्योंकि गवर्नर को मंत्रियों की सलाह के अनुसार कार्य करना था जो कि प्रांतीय विधायिका के लिए जबाबदेही थे ।
3. संघीय स्तर पर द्वैध शासन प्रारम्भ हुआ ।
   - संघीय विषयों को आरक्षित एवं हस्तान्तरित में विभक्त किया गया ।
   - भारतीय विषयों के लिए कार्यकारी पार्षदो जिनकी अधिकतम संख्या 3 निर्धारित थी के माध्यम से गवर्नर जनरल को शासन अधिकतम 10 मंत्रियों के द्वारा किया जाना था जो कि विधानपरिषद् के लिए उत्तरदायी थे ।
4. इसमें 11 में से 6 प्रान्तों में द्विसदनात्मक प्रणाली प्रारम्भ की

   1. बंगाल, बॉम्बे, मद्रास, आसाम, बिहार, संयुक्त प्रान्त उच्च सदन को विधानपरिषद् (लेजिस्लेटिव काउंसिल) कहा व निम्न सदन को विधानसभा (लेजिस्लेटिव असेम्बली) कहा ।
5. साम्प्रदायिक प्रतिनिधित्व को बढाया गया । दलित महिलाओं एवं मजदूरों को पृथक निर्वाचन क्षेत्र दिये गये ।
6. 1858 के भारत शासन अधिनियम द्वारा स्थापित भारत सचिव की भारत परिषद् को समाप्त कर दिया गया तथा उसके स्थान पर सलाहकारो का एक दल उपलब्ध करवाया गया ।
7. मताधिकार का विस्तार किया गया लगभग 10 प्रतिशत जनसंख्या को मताधिकार दिया गया ।
8. संघीय लोक सेवा आयोग का प्रावधान किया गया साथ ही संयुक्त लोक सेवा आयोग तथा प्रान्तीय लोक सेवा आयोग का भी प्रावधान किया गया ।
9. भारत की मुद्रा व साख नियंत्रण के लिए भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) की स्थापना की गयी ।
10. संघीय न्यायालय की स्थापना का प्रस्ताव रखा गया जो 1937 में गठित हुआ । इसकी स्थापना अन्तर्राष्ट्रीय विवादों तथा संविधान (1935 अधिनियम) की व्याख्या हेतु की गई जिसकी अपील लंदन में प्रिवी काउंसिल में की जा सकती है । महिलाओं को मताधिकार दिया गया ।

भारत शासन अधिनियत 1947

3 जुलाई 1947 को भारत के वायसराय माउन्ट बेटन ने विभाजन का प्रस्ताव रखा जिसे माउन्ट बेटन योजना कहते है ।

कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों के द्वारा यह स्वीकार कर लिया गया ।

भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 बनाकर इसे लागू किया गया इसकी निम्न विशेषताएँ थी –

1. भारत में ब्रिटिश राज समाप्त हुआ तथा भारत को 15 अगस्त 1947 से स्वंतत्र एवं सम्प्रभू राष्ट्र घोषित किया गया ।
2. इसमें भारत का विभाजन कर भारत और पाकिस्तान दो स्वतंत्र डोमिनियन बनाये जिन्हें ब्रिटिश राष्ट्रमण्डल से अलग होने की स्वतंत्रता थी ।
3. इसने वायसराय का पद समाप्त कर दिया और इसके स्थान पर दोनों डोमिनियन के लिए अलग अलग गवर्नर जनरल का प्रावधान किया जिसकी नियुक्ति डोमिनियन केबिनेट की सिफारिश पर राजमुकुट को करनी थी । ब्रिटेन की सरकार पर भारत या पाकिस्तान की सरकार का कोई उत्तरदायित्व नहीं था ।
4. इसके माध्यम से दोनों देशों की संविधान निर्मात्री सभा को अपनी इच्छानुसार संविधान बनाने एवं लागू करने का अधिकार मिला साथ ही ब्रिटिश संसद द्वारा पारित किसी भी कानून को रद्द करने का अधिकार मिला ।
5. इसने दोनों देशों की संविधान सभा को प्राधिकृत किया कि जब तक नया संविधान लागू नही हो जाता तब तक अपने अपने क्षेत्र के लिए ये कानून बनाने का कार्य कर सकेगी । 15 अगस्त 1947 के बाद ब्रिटिश संसद द्वारा घोषित पारित कोई भी

कानून दोनों देशों पर तब तक प्रभावी नहीं होगा जब तक कि संविधान सभा इसकी सहमति न दें ।

6. ब्रिटेन में भारत सचिव का पद समाप्त कर दिया गया तथा इसकी सभी शक्तियाँ राष्ट्रमण्डल सचिव को स्थानान्तरित हो गई ।
7. 15 अगस्त 1947 से भारतीय रियासतों पर ब्रिटिश सम्प्रभुत्व समाप्त हो गया तथा रियासतों को भारत अथवा पाकिस्तान में मिलने अथवा स्वतंत्र रहने की आजादी दी गई ।
8. ब्रिटिशकाल का वीटो का अधिकार तथा स्वयं की अनुमति के लिए ब्रिटिश राजा का विधेयक को रोकने का अधिकार समाप्त हो गया किन्तु कुछ परिस्थितियों में गवर्नर जनरल को यह अधिकार दिया ।
9. भारत के गवर्नर जनरल व राज्यों के गवर्नर को संवैधानिक प्रमुख के रूप में स्थापित किया जिनकी शक्तियाँ यथार्थ न होकर नाममात्र की थी । इन्हें मंत्रिपरिषद् की सलाह के अनुसार कार्य करना था ।
10. 14–15 अगस्त की मध्यरात्रि को ब्रिटिश शासन का अन्त हुआ तथा सत्ता दोनो डोमिनियन देशों को मिली ।
    - भारत के प्रथम गवर्नर जनरल माउन्ट बेटन तथा प्रथम स्वतंत्र प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को शपथ दिलाई ।
    - भारत की संविधान सभा भारत की संसद की तरह कार्य करने लगी ।
    - पाक का गवर्नर जनरल मोहम्मद अली जिन्ना था ।
    - सर्वोच्च शक्ति का निर्वाचित होना – गणतंत्र
    - वंशानुगत होना – राजतंत्र
    - नीचे की शक्ति का जनता द्वारा चुना जाना – लोकतंत्र

संविधान सभा

- सर्वप्रथम 1895 ई. में बाल गंगाधर तिलक ने संविधान की माँग की ।
- 1921 गाँधीजी ने संविधान सभा की माँग की ।
- 1934 मानवेन्द्र नाथ रॉय ने संविधान सभा की माँग की । (M.N. रॉय)
- 1935 कांग्रेस ने पहली बार अधिकारिक तौर पर संविधान सभा की माँग की ।
- 1938 कांग्रेस के प्रतिनिधि के तौर पर जवाहर लाल नेहरू ने सार्वजनिक वयस्क मतदान के आधार पर निर्वाचित संविधान सभा की माँग की ।
- 1940 के अगस्त प्रस्ताव में ब्रिटिश सरकार ने पहली बार संविधान सभा का प्रस्ताव रखा यद्यपि संविधान सभा शब्द का उल्लेख नहीं किया गया ।
- 1942 के क्रिप्स मिशन में निर्वाचित संविधान सभा का प्रस्ताव जो प्रांतीय विधान मण्डल के निम्न सदन के सदस्यों के द्वारा ।
- 1946 कैबिनेट मिशन की सिफारिशों के आधार पर संविधान सभा का निर्वाचन किया गया । इसकी निर्वाचन प्रान्तीय विधानमण्डल के निम्न सदन के सदस्यों के द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति व एकल संक्रमणीय मत के द्वारा ।

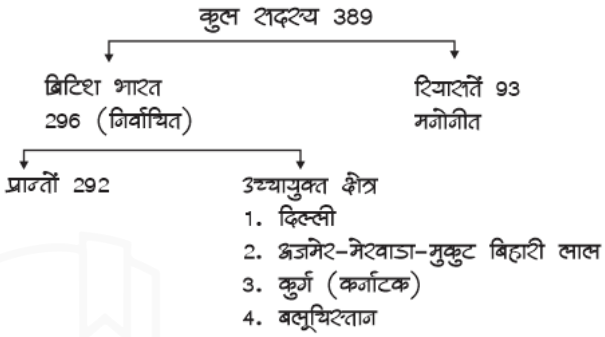

- जुलाई–अगस्त 1946 को संविधान सभा का निर्वाचन हुआ था ।
- कांग्रेस के 208 सदस्य निर्वाचित हुए थे ।
- मुस्लिम के लिए 76 सीट आरक्षित की गयी थी । उसमें से 73 सीट पर मुस्लिम लीग के सदस्य निर्वाचित हुए थे ।
- संविधान सभा के चुनावों के ठीक बाद मुस्लिम लीग ने संविधान सभा का बहिष्कार कर दिया ।
- महात्मा गाँधी एवं मोहम्मद अली जिन्ना ने चुनाव नहीं लडा था ।
- कुल 15 महिला सदस्य निर्वाचित हुई थी ।
- जय प्रकाश नारायण व तेज बहादुर सप्रु ने संविधान सभा से त्यागपत्र दे दिया था ।
- 9 दिसम्बर 1946 संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी वरिष्ठतम सदस्य सच्चिदानन्द सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया ।
- 11 दिसम्बर 1946 को संविधान सभा की दूसरी बैठक हुई थी डॉ. राजेन्द्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष नियुक्त किया गया ।
- H.C. मुखर्जी को उपाध्यक्ष निर्वाचित किया गया ।
- T.T. कृष्णामाचारी को भी उपाध्यक्ष निर्वाचित किया गया ।
- B.N. राव को संवैधानिक सलाहाकार नियुक्त किया गया ।
- संविधान का पहला प्रारूप B.N. राव ने तैयार किया था जबकि अन्तिम प्रारूप, प्रारूप समिति ने तैयार किया था ।
- 13 दिसम्बर 1946 पण्डित जवाहर लाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था ।

- 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा ने उद्देश्य प्रस्ताव पारित किया ।

उद्देश्य प्रस्ताव की मुख्य विशेषताएँ

1. सम्प्रभू व एकीकृत राष्ट्र की स्थापना करना ।
2. लोकतांत्रिक गणराज्य की स्थापना ।
3. नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक न्याय प्रदान करना ।
4. नागरिकों को मूल अधिकार प्रदान करना ।
5. विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता प्रदान करना ।
6. धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र की स्थापना करना ।
   - उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा के लिए दिशा निर्देशिका था जिसमें संविधान के आदर्शों को इसमें शामिल किया गया ।

महत्वपूर्ण समितियाँ

1. संघीय संविधान समिति
2. संघीय शक्ति समिति – अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू
3. प्रान्तीय शक्ति समिति
4. प्रान्तीय संविधान समिति – अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल
5. मूल अधिकार, अल्पसंख्यक, अनुसूचित व जनजातीय क्षेत्र तथा बाह्य क्षेत्र के लिए समिति – सरदार वल्लभ भाई पटेल

उप समिति

1. मूल अधिकार उप समिति – जे.बी. कृपलानी
2. अल्पसंख्यक के लिए उप समिति – H.C. मुखर्जी
3. अनुसूचित व जनजातीय क्षेत्र उप समिति– गोपीनाथ बारदोलोई
4. बाह्य व आंशिक बाह्य क्षेत्र के लिए उप समिति – A.V. टक्कर

प्रारूप समिति

1. डॉ. भीमराव अम्बेडकर (अध्यक्ष)
2. गोपाल स्वामी आयंगर
3. कृष्णा स्वामी अय्यर
4. K.M. मुंशी
5. मोहम्मद सादुल्लाह
6. N माधव राव (B.L. मित्र त्यागपत्र)
7. T.T. कृष्णामाचारी (D.P. खेतान की मृत्यु)

- इसके बाद प्रारूप समिति ने 60 देशों के संविधान का अध्ययन किया और उससे भारतीय संविधान का प्रारूप तैयार किया ।
- प्रथम पठन 4 नवम्बर 1948 से 9 नवम्बर 1948 तक किया ।
- द्वितीय पठन 15 नवम्बर 1948 से 17 अक्टूबर 1949 तक किया ।
- तृतीय पठन 14 नवम्बर से 26 नवम्बर 1949 तक किया ।
- 26 नवम्बर 1949 को संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित किया गया इस पर 284 सदस्यों ने हस्ताक्षर किए ।

15 अगस्त 1947 के बाद संविधान सभा की भूमिका

1. सम्प्रभु संस्था के रूप में स्थापित हुई । कैबिनेट मिशन की अनुशंषा के आधार पर कार्य करने की बाध्यता समाप्त हो गयी ।
2. 15 अगस्त 1947 से संविधान सभा ने दोहरी भूमिका का निर्वहन किया संविधान सभा के साथ–साथ विधानमण्डल के रूप में कार्य किया ।
3. आजादी के बाद संविधान सभा में 299 सदस्य रह गये थे ।

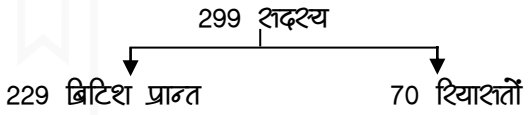

4. 299 में से 284 सदस्यों ने हस्ताक्षर किये थे ।
5. संविधान निर्माण की प्रक्रिया में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगे थे । संविधान के प्रारूप पर 114 दिन बहस हुई ।
6. संविधान निर्माण में 63,96,729 रुपये खर्च हुए ।
7. 26 जनवरी 1949 के संविधान में 22 भाग 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियाँ थी ।
8. वर्तमान संविधान में 25 भाग 460 अनुच्छेद 12 अनुसूचियाँ है ।
9. 15 अनुच्छेद 26 नवम्बर 1949 को लागू किये गये ।
   अनु. 5, 6, 7, 8, 9 (नागरिकता से संबंधित)
   अनु. 60 (राष्ट्रपति की शपथ)
   अनु. 324 (निर्वाचन आयोग)
   अनु. 366, 367 (निर्वाचन संबंधित शब्दावली)
   अनु. 379, 380, 388, 391, 392, 393 बाकी सभी अनुच्छेद 26 जनवरी 1950 को लागू किये गये ।

संविधान सभा के द्वारा लिये गए महत्वपूर्ण निर्णय

- 22 जुलाई 1947– राष्ट्रध्वज को मान्यता दी ।
- मई 1949 में ''राष्ट्रमण्डल की सदस्यता'' को मान्यता दी गयी ।
- 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगान व 26 जनवरी 1950 को राष्ट्रगीत को मान्यता दी गयी ।
- 24 जनवरी 1950 को भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉ. राजेन्द्र प्रसाद का निर्वाचन किया गया ।

- 24 जनवरी 1950 इसके दिन संविधान सभा की अन्तिम बैठक था और इसके बाद इन्होनें इसको भंग कर दिया गया । इसके बाद संविधान सभा विधानमण्डल के रूप में यह कार्य करती रही (1950 तक)

संविधान की विशेषताएँ

प्रस्तावना

हम भारत के लोग – अर्थात् सम्प्रभुता भारत की जनता में निहित है ।

भारत को – सम्पूर्ण प्रभुत्व सम्पन्न, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतंत्र, गणराज्य बनाना ।
न्याय – सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक
स्वतंत्रता – विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना
समता – प्रतिष्ठा अवसर
बंधुता – व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता व अखण्डता

26 नवम्बर 1949 ई. मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत् 2006 विक्रमी अंगीकृत, अधिनियमित, आत्मर्पित करते हैं ।

सम्पूर्ण प्रभुत्व सम्पन्न

15 अगस्त 1947 से 26 जनवरी 1950 तक भारत अधिराज्य (डोमिनियन स्टेट) था । इस समय की हमारी शासन व्यवस्था भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के द्वारा संचालित होती थी तथा पाकिस्तान में 1956 तक अधिराज्य रहा था । कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूज़ीलैण्ड आज भी अधिराज्य हैं । यद्यपि व्यावहारिक दृष्टि से पूर्णतः स्वतंत्र राष्ट्र हैं लेकिन सैद्धान्तिक रूप से इनका राष्ट्र प्रमुख आज भी ब्रिटिश क्राउन है ।

- सम्प्रभु राष्ट्र से तात्पर्य है कि कोई भी देश पूरी तरह से स्वतंत्र जो किसी भी प्रकार से किसी अन्य राष्ट्र या बाह्य सत्ता से निर्देश प्राप्त नहीं करता हो अर्थात् जो राष्ट्र अपने सभी निर्णय स्वतंत्र लेता हो ।
- यद्यपि वर्तमान में भी हम अन्तर्राष्ट्रीय संस्थाओं के निर्णय को मानते हैं तथा अन्य देशों का राजनैतिक दबाब भी हमारे ऊपर होता है लेकिन इससे हमारी सम्प्रभुता सीमित नहीं होती है, क्योंकि इन संगठनों की सदस्यता हमने स्वेच्छा से रखी है और यह हमारे राष्ट्रीय हितों के अनुकूल है । इसी तरह से अन्तर्राष्ट्रीय दबाब को भी हम राष्ट्रीय हितों को ध्यान में रखकर ही सहन करते हैं ।

समाजवाद

भारत साम्यवादी देश नहीं है । हमारा समाजवाद साम्यवाद से भिन्न है । यह लोकतान्त्रिक समाजवाद है । यह हिंसक क्रांति का समर्थन नहीं करता है यह संसाधनों के न्यायपूर्ण वितरण की बात करता है अर्थात् योग्यता के आधार पर संसाधनों के वितरण की बात करता है लोकतान्त्रिक आन्दोलन से बदलाव लाने की बात करता है यह निजी सम्पत्ति को मान्यता देता है, यह संसाधनों के संकेन्द्रण का विरोध करता है सभी लोगों की बुनियादी आवश्यकताएँ पूरी होनी चाहिए तथा गरीबों और वंचितों को संरक्षण दिया जाना चाहिए ।

पंथनिरपेक्ष

- भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है क्योंकि हमारा कोई राष्ट्रीय धर्म नहीं है । धर्म के आधार पर किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाता है । सभी धर्मों के लोगों के साथ समान व्यवहार किया जाता है । सभी लोगों को धार्मिक स्वतंत्रता दी गयी है । सरकारी योजनाओं और कार्यक्रमों का लाभ सभी लोगों के लिए समान रूप से उपलब्ध है ।
- सभी लोगों को वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है ।
- प्रस्तावना में भी पंथनिरपेक्षाता, पाश्चात्य, पंथनिरपेक्षाता से अलग है क्योंकि दोनों ही पंथनिरपेक्षताओं का उच्च निम्न परिस्थतियों व कारणों से हुआ है । पाश्चात्य पंथनिरपेक्षाता पुनर्जागरण धर्म सुधार आन्दोलन के प्रबोधन के कारण अस्तित्व में आयी है । लेकिन भारतीय पंथनिरपेक्षाता को बहुधार्मिक और बहुसांस्कृतिक समाज के कारण अपनाया गया है इसलिए भारत में पंथनिरपेक्षाता का तात्पर्य धर्म का राजनीति से पृथक्करण नहीं है बल्कि इसका अर्थ है ''सर्व धर्म समभाव'' और इसलिए राज्य सभी धर्मों को समान संरक्षण देता है । धार्मिक पहचान को मान्यता देता है इस आधार पर धार्मिक अल्पसंख्यक का दर्जा भी देता है । धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन भी करवाता है । धार्मिक संस्थाओं का संचालन भी करता है । धार्मिक कार्यों के लिए सब्सिडी उपलब्ध करवाता है । सभी धर्मों के लिए अलग नागरिक संहिता है । धार्मिक संस्थाओं को फेरो में छूट दी जाती है ।
- अतः भारत में धर्म को शासन व्यवस्था से पृथक नहीं किया गया बल्कि सभी धर्मों को समान संरक्षण दिया गया ।

लोकतंत्र

लोकतंत्र दो प्रकार के होते हे ।
1. प्रत्यक्ष लोकतंत्र
2. अप्रत्यक्ष लोकतंत्र

प्रत्यक्ष लोकतंत्र

यदि जनता की शासन में प्रत्यक्ष भागीदारी हो अर्थात् महत्वपूर्ण राजनैतिक एवं प्रशासनिक निर्णय जनता की सहमति से किये जाते हैं । इस तरह का लोकतंत्र केवल

छोटे देशों में सम्भव हो सकता है । प्रत्यक्ष लोकतंत्र के निम्न रूप है –

1. Referendum (जनमत संग्रह)
2. Plebiscite (जनमत संग्रह)
3. Right to Recall
4. Initiative

- भारत जैसे देश में प्रत्यक्ष लोकतंत्र सम्भव नहीं है क्योंकि विशाल जनसंख्या, विस्तृत भौगोलिक क्षेत्र बुनियादी ढाँचा कमजोर अर्थात् संचार के साधनों की कमी, शिक्षा का अभाव राजनैतिक जागरूकता का अभाव इत्यादि ।

अप्रत्यक्ष लोकतंत्र

इसके तहत जनता शासन में अप्रत्यक्ष रूप से भागीदार होती है । सभी महत्वपूर्ण राजनैतिक प्रशासनिक निर्णय जनता के द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधियों के द्वारा लिये जाते है ।

इसके अनेक रूप है जैसे –

1. संसदीय शासन व्यवस्था– ब्रिटेन
2. अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था – अमेरिका
3. दोहरी कार्यपालिका– फ्रांस
4. बहुल कार्यपालिका– स्विट्जरलैण्ड

भारत में संसदीय शासन प्रणाली पर आधारित अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है ।

इसी तरह अप्रत्यक्ष लोकतंत्र को अन्य देशो में भी वर्गीकृत किया जा सकता है ।

1. संघीय शासन व्यवस्था– अमेरिका
2. एकात्मक शासन व्यवस्था – ब्रिटेन

भारत में अर्द्धसंघीय शासन व्यवस्था है ।

गणतंत्र/गणराज्य

- यदि राष्ट्राध्यक्ष वंशानुगत न होकर निर्वाचित प्रतिनिधि होता है तो इसे गणतंत्र कहते है । भारत एक लोकतान्त्रिक गणराज्य है जिसमें की शासन की शक्तियाँ भी जनता में निहित है और राष्ट्र का प्रमुख निर्वाचित व्यक्ति है जबकि ब्रिटेन, जापान जैसे देश में लोकतंत्र है लेकिन गणतंत्र नहीं है क्योंकि उनके राष्ट्राध्यक्ष वंशानुगत है ।

सामाजिक न्याय

- सभी प्रकार के सामाजिक भेदभाव से रहित वातावरण जैसे कि धार्मिक भेदभाव, जातिगत भेदभाव, लैंगिक भेदभाव, भाषायी भेदभाव, नस्लीय भेदभाव, काले गोरे का भेदभाव विकलांगता से युक्त भेदभाव आदि ।
- व्यक्ति को अच्छा सकारात्मक वातावरण उपलब्ध होना चाहिए ताकि वो अपने व्यक्तिगत का विकास कर सकें ।

आर्थिक न्याय

- संसाधनों का सकेन्द्रण नहीं होना चाहिए जबकि इनका न्यायपूर्ण वितरण होना चाहिए अर्थात् प्रत्येक व्यक्ति को योग्यता के आधार पर मिलना चाहिए । सभी लोगों की बुनियादी आवश्यकताएँ बन्द होनी चाहिए और सभी के लिए रोजगार उपलब्ध होना चाहिए तथा किसी भी व्यक्ति का शोषण नहीं होना चाहिए । इसके लिए बंधुआ मजदूर व बेगार प्रथा बन्द होनी चाहिए ।

राजनीतिक न्याय

- सभी लोगों को मतदान व चुनाव लडने का अधिकार होना चाहिए ।
- निष्पक्ष व पारदर्शी चुनाव प्रणाली होनी चाहिए ।
- चुनावों में बाहुबल व धनबल का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए । इसी तरह चुनावों में जातिवाद, क्षेत्रवाद जैसे – मुद्दों का प्रयोग ना हो ।

42वाँ संविधान संशोधन 1976 इसके प्रस्तावना में तीन शब्द जोडे गये थे ।

1. समाजवाद
2. पंथनिरपेक्षता
3. अखण्डता

42वें संविधान संशोधन को 'लघु संविधान' कहते है ।

प्रस्तावना की आलोचना

- प्रस्तावना एक तरह की नकल है क्योंकि इसकी पहली लाईन अमेरिका से ली गयी है तथा शेष प्रारूप ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है ।
- प्रस्तावना संविधान का भाग है लेकिन यह सशक्त नही है क्योकि यह न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है ।
- प्रस्तावना में लिए हुए शब्द समाजवाद व पंथनिरपेक्षता स्पष्ट नहीं है क्योंकि 1951 ई. के बाद से हम क्रमिक रूप से पूँजीवाद की तरफ बढ रहे है तथा हम सभी धर्मों को संरक्षण दे रहे है ।